U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % MkO lfer 'kek] vkb-,-,l

foHkkxh; vihy l[;k 11@2020

vihykUVl	बनाम	**jLikMUVl**
तेज सिंह मेड़तिया, तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय बाडमेर, हाल–प्रवर्तन अधिकारी, खाध्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।		जिला कलेक्टर बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.()(1) कार्मिक/2020/16569 दिनांक 21.03.2020 बाबत अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंग्रहित प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार जिला रसद अधिकारी, बाडमेर अनुपस्थित।

fu.k;

दिनांकः 28 सितम्बर, 2020

1. अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंग्रहित प्रभाव से रोके जाने का के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 05.06.2020 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा उन पर यह आरोप आरोपित किया गया था किः–

1. यह है कि आप श्री तेजसिंह मेडतिया के प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय बाडमेर में पदस्थापित रहने के दौरान जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक रसद/वीआईपी विजिट/2019/3720 दिनांक 29.12.2019 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दनामक 29 व 30 दिसम्बर, 2019 को बाडमेर एवं धनाउ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री महोदय व अन्य वीआईपी/विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के विश्राम स्थल पर पेय पदार्थो व भोजन आदि की समुचित व्यवस्था के लिये आपकी डयूटी दिनांक 30.12.2019 को हेलीपेड स्थल धनाउ पर लगाई गई थी। आप निर्धारित दिनांक व समय पर अपनी डयूटी पर उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय व अन्य वीआईपी/विशिष्ट व्यक्तियों के विश्राम स्थल पर पेय पदार्थो व भोजन आदि की व्यवस्था करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ। आपका यह कृत्य वीआईपी विजिट के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने व उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है।

4. अपीलान्ट के द्वारा उक्त आरोप पत्र का प्रत्युतर श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर को दिनाक 22.01.2020 को पेश कर दिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से सुनने के उपरान्त अपीलान्ट को आरोप में वर्णित तथ्यों के आधार पर दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दण्डित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 06.12.2019 को जिला रसद अधिकारी, बाडमेर से उनकी वृद्ध माताजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 7.12.2019 से दिनांक 15.12.2019 तक का अवकाश प्रार्थना पत्र पेश कर अवकाश पर रहने की अनुमति ले ली थी। परन्तु अपीलान्ट की माताजी की तबीयत में दिनांक 15.12.2019 तक सुधार नहीं होने के कारण अवकाश अवधि को दिनांक 29.12.2019 तक बढाने हेतु जिला रसद अधिकारी बाडमेर को जरिये ई–मेल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिनांक 29.12.2019 व दिनांक 30.12.2019 को बाडमेर एवं धनाउ क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित हुआ एवं भ्रमण कार्यक्रम में कार्मिकों की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश क्रमांक रसद/वीआईपी विजिट/2019/3718 दिनांक 29.12.2019 में अपीलान्ट का नाम कार्मिकों की नियुक्ति में अंकित नहीं था। परन्तु उसी दिनांक को एक अन्य आदेश क्रमांक रसद/वीआईपी विजिट /2019/3720 दिनांक 29.12.2019 के द्वारा अपीलान्ट का नाम उसमें अंकित कर सायः 7.00 बजे के समय अपीलान्ट को जरिये व्हाटसएप पर आदेश की प्रति प्रेषित की गई। उक्त दिनांक 29.12.2019 को अपीलान्ट अपने ग्राम जिला पाली के पदमपुरा में ही था, जो कि बाडमेर जिले से लगभग 300 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। जिला रसद अधिकारी, बाडमेर के उक्त कार्यालय आदेश की जानकारी मिलने पर अपीलान्ट दिनांक 30.12.2019 को प्रातः ही 9.00 बजे जिला रसद कार्यालय बाडमेर में पहुंच गया। जिला रसद अधिकारी कार्यालय के उक्त आदेशानुसार अपीलान्ट की डयूटी धनाउ स्थित हेलीपेड पर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नियत की गई थी। परन्तु अपीलान्ट को बाडमेर से ग्राम धनाउ जाने के लिये समय पर उचित साधन नही मिलने के कारण अपीलान्ट धनाउ स्थित हैलीपेड पर नही पहुंच पाया क्योंकि अपीलान्ट को बाडमेर जिले में पदस्थापित हुए 03 माह ही हुए थे तथा वह बाडमेर जिले की भौगोलिक स्थिती से अनभिज्ञ था।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उक्त आदेश के तहत अन्य कार्मिकों यथा श्री राधेश्यामदास, प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद, प्रवर्तन निरीक्षक की डयूटी लगाई गई थी और अपीलान्ट के साथ–साथ उनके विरूद्ध भी राज0 सिविल सेवा नियम के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर ने ज्ञापन क्रमांक 16092 व 16094 दिनांक 03.01.2020 को जारी किया गया जिसमें भी दिनांक 30.12.2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भ्रमण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के कारण आरोप पत्र जारी किया गया था तथा दिनांक 18.3.2020 को जिला कलेक्टर बाडमेर महोदय के द्वारा अपीलान्ट, श्री राधेश्यामदास, श्री विनोद की व्यक्तिगत सुनवाई रखी जिसमें हमारी ओर से अपना–अपना जवाब पेश किया। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा 21.03.2020 को अलग–अलग निर्णय जारी किये गये

जिसमें श्री राधेश्यामदास, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री विनोद, प्रवर्तन निरीक्षक को दोषमुक्त कर दिया जबकि अपीलान्ट को उक्त आरोप अनुसार दोषी मानते हुए अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित कर दिया, जो उचित नहीं होने से निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

8. जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपील पर प्रेषित अपनी टिप्पणी में यह उल्लेख किया कि अपीलान्ट की डयूटी माननीय मुख्यमंत्री के बाडमेर जिले/ग्राम धनाउ में भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित होने पर उनके भोजन, पेय पदार्थो इत्यादि की समुचित व्यवस्था के लिये जिला रसद अधिकारी कार्यालय की ओर से लगाई गई थी परन्तु अपीलान्ट निर्धारित तिथी व नियत समय पर अपनी डयूटी पर उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य वीआईपी/विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के विश्राम स्थल पर पेय पदार्थो एवं भोजन आदि की व्यवस्था करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ जिसके आधार पर अपीलान्ट पर आरोप आरोपित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित कर उक्त आरोप में अंकित तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी माना गया तथा उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंग्रहित प्रभाव से रोके जाने का दण्ड पारित किया गया है जो उचित है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

9. हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया। अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप में दिनांक 30.12.2019 को माननीय मुख्यमंत्री के जिला बाडमेर व ग्राम धनाउ में भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित होने पर जिला रसद अधिकारी, कार्यालय बाडमेर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3720 दिनांक 29.12.2010 के द्वारा अपीलान्ट की डयूटी हेलीपेड स्थल धनाउ लगाई गई थी, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह अंकित किया गया है कि वह दिनांक 30.12.2019 को जिला रसद अधिकारी, कार्यालय बाडमेर में प्रातः 9.00 बजे पहुंच गया परन्तु हेलीपेड स्थल धनाउ पहुंचने के लिये उचित साधन समय पर नहीं मिलने के कारण वह धनाउ नहीं पहुंच पाया। इस सम्बन्ध

में अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को हेलीपेड धनाउ पहुंचने में कोई आवागमन का साधन उपलब्ध नहीं हो सका हो, अपीलान्ट की डयूटी वीआईपी विजिट में लगाई गई थी तो ऐसे में अपीलान्ट को चाहिये था कि वे उसकी पालना में निर्धारित भ्रमण स्थल/धनाउ हेलीपेड पर भ्रमण कार्यक्रम हेतु निर्धारित समय अनुसार समय से पूर्व ही डयूटी पर/गन्तव्य पर पहुंचने की कोशिश करते।

10. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट दिनांक 07.12.2019 से दिनांक 15.12.2019 तक का अवकाश प्रार्थना पत्र अपनी वृद्ध माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से जिला रसद अधिकारी, बाडमेर को प्रस्तुत किया गया था जो उनके द्वारा स्वीकृत कर अवकाश अनुमति दी जाना दस्तावेजों से प्रकट होता है इसके पश्चात अपीलान्ट के द्वारा अपने गांव से ही माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाने के कारण अवकाश अवधि को दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 29.12.2019 तक बढाये जाने हेतु अवकाश प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय को जरिये ई–मेल भिजवाया जाना बताया है, उक्त अवकाश प्रार्थना पत्र के स्वीकृत होने अथवा अस्वीकृत होने के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही अपनी वृद्ध माताजी के ईलाज कराये जाने बाबत चिकित्सक/चिकित्सालय की पर्ची/परामर्श सम्बन्धी दस्तोवज पेश किये गये है। ऐसे में अपीलान्ट के उक्त अवधि को अवकाश स्वीकृत होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2020 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kekZ½
fMoh tuy dfe'uj
tks/kiqj